

शिक्षा फीस की वापसी

फॉर्म - 2

पेरा - 25

प्रमाणित किया जाता है कि, बच्चा/बच्चे, जिनको शिक्षा-फीस की वापसी के बारे में निम्नानुसार उल्लेख किया गया / किये गये हैं, मुझपर पुर्णतया निर्भर है :-

बच्चे का नाम	जन्म दिनांक	पाठशाला का नाम जहाँ पर पढ़ रहे हैं।	क्लास जिसमे पढ़ रहे हैं।	देय मासिक फीस	दी गयी शिक्षा फीस	दावे की गयी रकम
					जुन ते मई	
1	2	3	4	5	6	7

2. प्रमाणित किया जाता है कि, बच्चे के / प्रत्येक बच्चे के सामने दर्शायी गयी शिक्षा फीस मेरे द्वारा पहले ही दी जा चुकी है। भुगतान-पावती / बैंक क्रेडिट के काउंटर फाईल के वाउचर्स - आदि उक्त दावे के साथ संलग्न किये गये हैं।

3. प्रमाणित किया जाता है कि :-

क) मेरी पत्नी / पती, केन्द्र सरकार के कर्मचारी नहीं हैं।

ख) मेरी पत्नी / पती, केन्द्र सरकार के कर्मचारी है, लेकिन उसके द्वारा हमारे बच्चे की / बच्चों की शिक्षा संबंधी फीस की व्यय - आपूर्ति के दावे नहीं किये जाते।

ग) मेरी पत्नी / पती कार्यालय में कार्यरत है। उसे / उन्हें हमारे बच्चे / बच्चों के शिक्षा की फीस की व्यय आपूर्ति प्राप्त नहीं होती है।

4. प्रमाणित किया जाता है की दावे की अवधि के समय में बच्चा / बच्चे नियमित रूप से पाठशाला में जाते रहे हैं और बिना अनुपस्थिति के पाठशाला से अनुपस्थित नहीं रहे, न ही एक महीने से ज्यादा छुट्टी पर रहे।

5. प्रमाणित किया जाता है की, उल्लिखित बच्चा / बच्चे किसी भी एक कक्षा में दो साल से ज्यादा पढ़े नहीं हैं।

6. प्रमाणित किया जाता है कि, मैं या मेरी पत्नी / पति द्वारा उपनिर्देशित बच्चे / बच्चों के लिए किसी प्रकार का शिक्षा संबंधी भत्ते का दावा नहीं किया गया।
7. प्रमाणित किया जाता है की, मेरा बच्चा/बच्चे जिनके बारे में वापसी का ठवा किया गया है उसी पाठशाला में पढ़ते है जो मान्यता प्राप्त है केन्द्र सरकार / राज्य सरकारी / यूनियन टैराटरी / प्रशासन / म्युनिसियल / कॉर्पोरेशन/म्युनिसिपल कमिटी / पंचायत समिती / जिल्हा परिषद द्वारा चलायी जाने वाली पाठशाला के लिए यह लागू नहीं है।
8. उपयुक्त दी गयी विस्तृत जानकारी के संबंध में यदि शिक्षा की वापसी के दावे के संबंध में किसी प्रकार का बदल हो गया हो, तो तुरन्त उसी सम तत्काल सूचित किया जायेगा। साथ ही दावे के संबंध में अतिरिक्त वेतन यदि प्रमाण हुआ हो, तो उसकी भी सूचना तत्काल दी जायेगी।

दिनांक

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

नाम बड़े अक्षरों में :

पदनाम और कार्यालय

जो लागू नहीं है, उसे काट दिया जाए

* केन्द्र सरकार के अतिरिक्त कर्मचारी के कार्यालय का नाम दिया जाए।